

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

सहायक व लेखी मुकाम डो सिपा

मुनाराप वर्गी बनाम तहसीलदार रिपरी

क्रिम मुकदमा

136 LR Act नं.

176/2018


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11-19	<p>प्राथीगण मुनाराप नगाराप जेनाराप दारा एक पत्र पेश कर विवेक 134 कि ग्राम माखगा प्यार मख्य माखगा तहसील रिपरी जिला जोधपुर के जमाबंदी सम्बन्ध 2072 से 2075 के खाली 45 मे ख. नं. 403, 535, 537 हुस रखा 190-02 कीथा कृमि प्राथीगण व दानाराप वर्गी के सम्बन्ध स्थापना के कृमि दर्ज है जिसमे प्राथीगण जेनाराप नगाराप मुनाराप पि० गिरधारीराम माखिल मेखराम दलाराम शवठाराम पि० पोडराम मिखा पि० पोवरराम आदि बरिडा का 1/2 हि० व दानाराप व अचलाराम जोभाराम व अचलाराम अजदाएम श० माधाराम माजीलाल नपुरावाप व सुखाराम व नमनाराम तुषठाराम व नमनाराम जोधपुर हरजीराम उर्पर हरठाराम शराराम पि० लिखाराम बभूराम बतराम पि० शेराराम 1/2 आदि जाट का हिस्सा <del>अहकाम</del> देना चाहिये परन्तु प्राथीगण का हिस्सा दर्ज नहीं है</p> <p>इस सम्बन्ध मे तहसीलदार रिपरी से जाच रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार रिपरी की जाच रिपोर्ट आठ हूँ जो आधील कैमलल से। रिपोर्ट मे बताया है प्राथीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज था परन्तु ग. नं. 8-225 मे शेष 1/2 हिस्सा मे हिस्सा गुलत है शुद्ध किया जाना उचित है।</p> <p>अतः पत्रवाली का हकान्तर्गत अवलोकन किया गया।</p> <p>अतः प्राथीगण का पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार रिपरी को</p>	

सायब कनिष्ठ, जोधपुर

तारीख  
हुक्म

11-19

आदेशित रकबा जगल है कि ग्राम  
 मालुगा के खसरा नम्बर 403 535  
 व 537 व 538 रकबा 190-02 बीघा में  
 अश्रीमत् सर्व श्री जेनाराय नगराय मूनाराय  
 पि० गिरधरिराम मणीलाल मेहराम दलाराम  
 सवणारय पि० चोकरराम मिरगा व/० चोकररय  
 का 1/2 हिस्सा दर्ज रकबा जोके तथा  
 शेष खातेदारन का 1/2 हिस्सा दर्ज  
 करने के आदेश दिमे जावे है तस्वीर  
 जारी है।  
 पत्रावली कुसल शुभा (खसरा  
 नम्बर से वय की जाकत दारिकल  
 दफ्तार हो।

  
 जज अहमद, बीघवा